

**दिल्ली विकास प्राधिकरण**  
(वित्त एवं व्यय )

**वित्त एवं व्यय परिपत्र सं. 27/2016**

एफ.एंड ई परिपत्र सं. 10/2016 दिनांक 06-05-2016 के आंशिक संशोधन में उपाध्यक्ष, दि0वि0प्रा0 को प्राधिकरण संकल्प सं. 208 दिनांक 25-2-1967 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए निम्नलिखित के संबंध में प्रधान आयुक्त (प्रणाली) की प्रत्यायोजित वित्तीय शक्तियों को संशोधित करते हैं:-

मद का विवरण	प्राधिकरण	आर्थिक सीमा (प्रति वर्ष)
किसी अन्य अधिकारी को कम्प्यूटर हार्डवेयर, सिस्टम साफ्टवेयर एवं नेटवर्क का रखरखाव	प्रधान आयुक्त (प्रणाली)	मुख्य लेखा अधिकारी, दि0वि0प्रा0 के परामर्श से पूरी शक्तियाँ ।

2. उपर्युक्त मदों/कार्य पर व्यय की प्राप्ति, व्यय को पूरा करने के लिए विद्यमान बजट प्रावधान और सामान्य वित्तीय नियमों में उल्लिखित उपयुक्त प्रावधानों की अनुपालना और समय-समय पर जारी अन्य सरकारी आदेशों पर निर्भर होगी।

(संतोष कुमार)  
मुख्य लेखा अधिकारी

सं.-एफ.ई 16(35)2009/डीडीए/पार्ट/601

दिनांक 25-10-2016

प्रतिलिपि प्रेषित:-

1. उपाध्यक्ष/वित्त सदस्य/अभियन्ता सदस्य के निजी सचिव को, उनके सूचनार्थ पत्र,
2. प्रधान आयुक्त (प्रणाली),
3. आयुक्त (प्रणाली),
4. निदेशक (प्रणाली),
5. उप मुख्य लेखा अधिकारी (मुख्यालय)-1,
6. वरिष्ठ लेखा अधिकारी (आकस्मिक व्यय),
7. गार्ड फाईल ।

वरिष्ठ लेखा अधिकारी (वित्त एवं व्यय)